जननी एक्सप्रैस योजना

मध्यप्रदेश में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से अनेक योजनाऐं प्रारंभ की गई है, इसी कडी में गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से जननी एक्सप्रेस योजना प्रदेश के 11 जिलों में सितम्बर 06 से प्रारंभ की गई है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में निश्चित वाहन 24 घंटे प्रसव सुविधाओं हेतु परिवहन के लिये उपलब्ध रहेगा। योजना के अन्तर्गत वाहन का संचालन निजी संस्था द्वारा अनुबंध पर किया जाता है। संबंधित संस्था की रोगी कल्याण समिति द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। फरवरी 07 से योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों मे किया गया है।

पात्रता – जननी एक्सप्रेस योजना का लाभ निम्न परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता हैः–

- संस्थागत प्रसव हेतु परिवहन के लिये समस्त गर्भवती महिलायें।
- प्रसव पश्चात् या प्रसव से पूर्व किसी आकस्मिक परिस्थति से निपटने हेतु गर्भवती महिला के परिवहन हेतु।
- दीनदयाल उपचार योजना के तहत पात्रता रखने वाले व्यक्ति।
- बीमार शिशुओं को चिकित्सकीय उपचार हेतु परिवहन।
- किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय आकस्मिकता से निपटने हेतु परिवहन।